

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

B/8419

//आदेश//

क्रमांक -----/चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक ²²-----/12/2021

श्री संजीव सुधाकर कालगांवकर, तत्कालीन Secretary General, Supreme Court of India, New Delhi (वर्तमान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा) की सेवाए प्रतिनियुक्ति विभाग से अपने पैतृक विभाग को वापिस प्राप्त होने के फलस्वरूप सुपर समय वेतनमान रूपये 70290-1540-76450/- में उनके वेतन निर्धारण निम्न तालिका अनुसार स्वीकृत किया जाता है:-

सुपर समय वेतनमान रूपये 70290-1540-76450/- में प्राप्त वेतन व दिनांक	देय दिनांक
1.	2.
70290.00 /- 19.11.2018	दिनांक 19.11.2018 (काल्पनिक)
71830.00 /- 19.11.2019	दिनांक 01.11.2019 (काल्पनिक)
73370.00 /- 19.11.2020	दिनांक 01.11.2020 (काल्पनिक)
73370.00 /- 04.11.2021	दिनांक 04.11.2021 को प्रतिनियुक्ति से वापिस लौटने के फलस्वरूप देय तथा आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 19.11.2021 होगी।
74910.00 /- 19.11.2021	दिनांक 01.11.2021

नोट:- 1. श्री कालगांवकर उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी दिनांक 03.11.2021 तक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

sd/r
(अजय पवार)
रजिस्ट्रार(एम)

पृष्ठांकन क्रमांक/चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक/12/2021

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री संजीव सुधाकर कालगांवकर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

डेमन

sd/r
16.12.2021
रजिस्ट्रार(एम)